#### **GOVERNMENT OF INDIA**



#### असाधारण EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] No. 117] दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2019/ज्येष्ठ 31, 1941

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 75 [N.C.T.D. No. 75

DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2019/JYAISTHA 31, 1941

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

## GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# परिवहन विभाग

# अधिसूचना

दिल्ली, 20 जून, 2019

सं.डीसी/ओपीएस/टीपीटी/2014/26079.—जबिक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप दिनांक 26.10.2018 की अधिसूचना सं. फा. डीसी/ओप्स/टीपीटी/2014/445 के अनुसार दिल्ली राजपत्र भाग—4 असाधारण में, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाला दिल्ली के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, उस तिथि से तीस दिन की अवधि बीतने से पहले इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था,

और जबिक उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 26 अक्तूबर, 2018 को उपलब्ध कराई गईं थी; और जबिक उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जनता से कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अब इसलिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 के साथ पठित दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 2 (q) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

# नियम

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :--
- (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगा।
- 2. नियम ३४क (1) का संशोधन
- दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 34क के उपनियम (1) में

2980 DG/2019 (1)

निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"किसी भी गैर—परिवहन चार पहिया वाहन एवं दो पहिया वाहन की स्थित में निम्न तालिका के कॉलम 1 में यथानिर्दिष्ट कोई पंजीकरण अंक उपलब्ध पंजीकरण श्रृंखलाओं में से किसी श्रृंखला में आबंटन श्रेणी 1, 2, 3, एवं 4 के संबंध में खुली निलामी द्वारा सर्वाधिक बोली देने वाले को अतिरिक्त भाुल्क का भुगतान करने पर दिया जाएगा तथा श्रेणी 5 एवंम् 6 के संबंध में निम्न तालिका वर्णित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर दिया जाएगा।

पसंद के पंजीकरण चिन्ह/संख्या तथा वर्तमान पंजीकरण चिन्ह/संख्या के प्रतिधारण हेतु प्रक्रियागत प्रभारों के समनुदेशन के लिये शुल्क

श्रेणी	पंजीकरण संख्या / चिन्ह	श्रेणी 1, 2, 3,	nai 4 <del>2 Prol</del>	आवंटन की पद्धति
श्रणा	पजाकरण संख्या / ।चन्ह		-	आवटन का पद्धात
		न्यूनतम आरक्षित म् एवंम् 6 के लिये		
		चार पहिया वाहन		
		वार पाठवा पाठग	्रा पारुवा वाहन	
	(1)	(2)	(3)	(4)
4	0001	(2) पांच लाख रुपये	, ,	(4)
1			पचास हजार रुपये	
2	0002 से 0009	तीन लाख रुपये	तीस हजार रुपये	ई–बोली द्वारा
3	0010 से 0099, 0786, 1000, 1111, 7777 एवं 9999	दो लाख रुपये	बीस हजार रुपये	
4	0100, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800, 0888, 0900, 0999, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 8000, 8888, 9000, 0101, 0108, 1008 지외 1313	एक लाख पचास हजार रुपये	पन्द्रह हजार रुपये	
5	कोई भी अन्य पंजीकरण चिन्ह, जो उक्त श्रेणी संख्या 01 से 04 में उल्लिखित नहीं है और जो किसी व्यक्ति द्वारा पसंद की पंजीकरण चिन्ह के रूप में मांगा गया है जो पंजीकरण चिन्हों की श्रृंखलाओं में संख्याओं की क्रमवार संख्या को लांघ कर आबंटित किया जाता है।	पच्चीस हजार रुपये	दो हजार पांच सौ रुपये	आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑन लाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अतिरिक्त भाुल्क के भुगतान पर किया जाएगा।
6	नए गैर परिवहन चार पहिया वाहन या दो पहिया वाहन की खरीद पर मौजूदा पंजीकरण चिन्ह का प्रतिधारण	प्रतिधारण करने वाले पंजीकरण चिन्ह की श्रेणी के न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10% या 25,000 / - रूपये जो भी अधिक हो। पंजीकरण चिन्ह व अनुमति तभी होगी चिन्ह आवेदन की ति नाम पर कम से	10% या 25,00 / - रूपये जो भी अधिक हो। के प्राधिकरण की जबिक पंजीकरण थि पर, आवेदक के कम तीन वर्षों से	यथा लागू कॉलम 2 या 3 में यथाउल्लिखत अतिरिक्त भाुल्क के भुगतान पर प्रतिधारण की अनुमति दी जायेगी।

यह अधिसूचना परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी की गई है।

# TRANSPORT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 20th June 2019

**No. DC/OPS/Tpt./2014/26079.**—Whereas the draft rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, vide Notification No. F.DC/OPS/TPT/2014/445 dated 26.10.2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing the said notification were made available to public.

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the  $26^{th}$  October, 2018.

And whereas, no objection and suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 65, read with rule 2(q) of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, the following rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 are hereby made, namely:-

## Rules

#### **Short Title and Commencement**

- (1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (First Amendment) Rules. 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

Amendment in Rule 34 A (1)

In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in Rule 34A, for sub-rule(1), the following shall be substituted,

"In case of non-transport four wheeled vehicle and two wheeled vehicle, the assignment of registration mark as specified in column 1 of the table given below, in any available series of registration marks shall be made available only on payment of additional fee to the highest bidder selected through open auction in respect of category 1, 2, 3 & 4 and on payment of additional fee in respect of category 5 & 6 as per table given below:

Category	Registration Marks / Numbers	Minimum Reserve 3 & 4 and Additio 5 & 6	Mode of allotment	
		Four wheeled Vehicles	Two Wheeled Vehicles	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	0001	Rupees Five Lakhs.	Rupees Fifty Thousands.	
2	0002 to 0009	Rupees Three Lakhs.	Rupees Thirty Thousands.	
3	0010 to 0099, 0786, 1000, 1111, 7777 & 9999	Rupees Two Lakhs.	Rupees Twenty Thousands.	Through e - auction.

1	0100 0111 0200 0222	Dumana Oma I -1-1-	Danasa Eife	
4	0100, 0111, 0200, 0222,	Rupees One Lakh	Rupees Fifteen	
	0300, 0333, 0400, 0444,	& Fifty Thousands	Thousands.	
	0500, 0555, 0600, 0666,			
	0700, 0777, 0800, 0888,			
	0900, 0999, 2000, 2222,			
	3000, 3333, 4000, 4444,			
	5000, 5555, 6000, 6666,			
	7000, 8000, 8888, 9000,			
	0101, 0108, 1008 & 1313	D	D	7771 11 1 1 1 1
5	Any other registration mark	Rupees Twenty	Rupees Two Thousand	The allotment shall be
	which is not mentioned in	Five Thousands.	& Five Hundreds.	made on payment of
	category no. 01 to 04 is			additional fee through
	sought by a person as a			on-line software on first
	registration mark of choice			come first serve basis.
	by jumping the chronological			
	order of numbers in a series			
6.	of registration marks.  Retention of existing	10% of the	10% of the minimum	The retention shall be
0.		minimum Reserve	Reserve Price of the	
	Registration Mark on purchase of new non-	Price of the	category of the number	allowed on payment of additional fee as
	transport Four wheeled	category of the	to be retained or	mentioned in Column 2
	vehicle or Two wheeled	number to be	Rs.2,500/- whichever is	and 3, as applicable.
	vehicle of Two wheeled vehicle	retained or	higher	and 3, as applicable.
	Venicle	Rs.25,000/-	ingliei	
		whichever is		
		higher		
			registration mark will be	
		The Retention of registration mark will be		
		allowed, only if the registration mark has remained registered in the name of the		
		applicant for a minimum period of three		
		years, as on the date of application for		
		retention.	date of application for	
		recention.		

This issues with the prior approval of Hon'ble Minister (Transport), Govt. of NCT of Delhi.

JYOTI SETH, Dy. Commissioner (Operations-I)